लेखपालों को विगत 2 वर्षों में उपलब्ध कराये गये लाभों/दी गयी सुविधाओं के विषय में टिप्पणी

कमांक	मा0 परिषद द्वारा दिये गये विवरण	वास्तविक स्थिति
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी लेखपालों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराते हुये उनके संचालन का प्रशिक्षण करा दिया गया है।	लेखपालों को स्मार्टफोन देने का निर्णय 27.10.14 को लिया गया था और **5 साल बाद 2 बार आन्दोलन करने के बाद 2019 में दिया गया।** यह लेखपालों की मांग नहीं थी अपितु मा0 प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में डिजिटल व्यवस्था करने के लिये आवश्यक संसाधन के रूप में दिया गया।
2	ईडिस्ट्रिक योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध करा दिये गये है। तथा इसके संचालन का प्रशिक्षण करा दिया गया है।	शासन द्वारा स्वतः दिनांक 27.10.14 को आनलाईन प्रमाणपत्र की अनिवार्य व्यवस्था के लिये लैपटाप देने का निर्णय लिया गया था और **5 साल बाद 2 बार आन्दोलन करने के बाद 2019 में दिया गया।** पाचं वर्ष तक अपने निजी व्यय पर लेखपालों द्वारा कार्य किया गया।
3	जन सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा रही शासकीय सुविधाओं में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों के प्रिन्ट पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति लेखपालों को अनुमन्य किया गया है।	वर्ष 2013 से ई–डिस्ट्रिक योजना में लेखपाल निजी व्यय पर उक्त कार्य कर रहे हैं। **मा0 मुख्यमंत्री महोदय की सहमति के बाद 16 जुलाई 2018 को 5 रूपये भुगतान का निर्णय लिया गया जिसका आज तक जनपदों में भुगतान नहीं किया गया।**
4	लेखपालों को आधार भूत सुविधाएं फर्नीचर, शौचालय, बैठने की व्यवस्था अनुमन्य किये जाने हेतु प्रति तहसील रूपये एक लाख केवल एक बार प्रयोक्ता प्रभार से खर्च	आधार भूत सुविधा के लिये भी गतवर्ष आन्दोलन करना पड़ा जिसमें 5 जुलाई 2018 को मा0 परिषद द्वारा पत्र निर्गत किया गया किन्तु पत्र अस्पष्ट होने के कारण आज तक तहसीलों में लेखपालों को उक्त सुविधाएं नहीं दी गयी। महिला

Scanned by CamScanner

	किये जाने की की अनुमति प्रदान की गयी है।	लेखपाल वकीलों के बस्तों पर बैठने को विवश हैं। शौचालय की भी कोई सुविधा महिला लेखपालों के लिये नहीं है। बार–बार मांग के बावजूद किसी ने भौतिक सत्यापन नहीं किया है।
5	मा0परिषद द्वारा लेखपालों के शीघ्र पदोन्नति हेतु राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त 1409 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है।शासन स्तर पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है।	03 मई 2016 को मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद की बैठक में 5 लेखपालों पर एक राजस्व निरीक्षक का निर्णय लिया गया था किन्तु उक्त प्रस्ताव पर मात्र 10 लेखपालों पर एक राजस्व निरीक्षक का अनुपात बनाया गया तथा 16 जुलाई 2018 को मा0 मुख्यमंत्री महोदय की सहमति के बाद मा0 मुख्य सचिव महोदय द्वारा काडर रिव्यू समिति का गठन कर काडर में पदों की पुर्नसंरचना कर 10–15 वर्ष में प्रमोशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश उक्त बैठक में दिये गये थे। जिस पर व्यापक एवं सम्यक विचार नहीं किया गया। मात्र 1409 पदों के सृजन का प्रस्ताव मा0 परिषद द्वारा भेजा गया है जो आज तक लम्बित हैं।
6	उल्लिखित है कि लेखपालों को पदोन्नति हेतु 2015 व 2016 के कम में 1308 व 500 कुल पद 1808 राजस्व निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित किये गये है। प्रदेश के किसी भी संवर्ग में अल्प अवधि में इतनी अधिक संख्या में पदों का सृजन नहीं किया गया है।	अन्य विभागों में 10 वर्ष की सेवा पूर्व प्रथम पदोन्नति हो जाती है और सेवाकाल 3 अथवा अधिक पदों पर पदोन्नति हो जाती है किन्तु दिसम्बर 1982 का लेखपाल आज तक एक भी पदोन्नति नहीं प्राप्त कर सका है। कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल लिपिक संवर्ग में 2013 में काडर रिव्यू इस प्रकार किया गया कि मात्र 2449 कनिष्ठ सहायक के लिये दो गुने 4900 वरिष्ठ सहायक के पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध होने के साथ साथ प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के समस्त पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरने से भरने का प्रावधान

Scanned by CamScanner

		किया गया है किन्तु लेखपालों की पदोन्नति के लिये मा0 मुख्य सचिव महोदय के निर्देश दिनांक 16 जुलाई 2018 के कम में गठित काडर रिव्यू समिति अथवा अन्य सक्षम स्तर से इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया। मात्र 1409 पदों के सृजन का प्रस्ताव मा0 परिषद द्वारा भेजा गया है जो आज तक लम्बित हैं। जिसके कारण जहां पूरे सेवाकाल में एक भी प्रमोशन न पाने के कारण सम्मान से वंचित लेखपाल कुठिंत है वहीं वेतन विसंगति भी उत्पन्न हो गयी है।
7	चयन वर्ष 2016–17 एवं 17–18 की रिक्तियों के सापेक्ष 2521 कर्मियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया है।	उक्त प्रोन्नतियों के लिये मा0 राजस्व परिषद का आभार। यह अवगत् कराना है कि उक्त उल्लिखित संख्या में लेखपाल मात्र 76 प्रतिशत हैं और ऐसे लेखपालों की प्रोन्नति हुई है जो सेवानिवृत्ति के सन्निकट थे। चयन वर्ष 2018–19 की डी0पी0सी0 जुलाई 2019 में हो जानी चाहिये थी किन्तु आज तक नहीं हुई। दिव्यांग लेखपालों की डी0पी0सी0 वर्ष 2016–17, 2017–18 व 2018–19 लम्बित है।
8	लेखपालों के उनके निजी अनुरोध पर 29.06.19 में 289 तथा दिनांक 13.12.19 को 364 को कुल 643 लेखपालों को उनके गृह मण्डल में गृह जंनपद को छोड़कर स्थानान्तरण किया गया है।	मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद की बैठक दिनांक 03 मई 2016 में लिये गये निर्णय के कम में मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 21 सितम्बर 2016 में निर्णय लिया गया था कि "निजी अनुरोध पर विशिष्ट परिस्थितियों में लेखपालों का स्थानान्तरण प्रदेश में कहीं भी एक जनपद से दूसरे जनपद में मा0 परिषद द्वारा किया जा सकेगा। उक्त नियमावली संशोधन एक माह में कैबिनेट से करा लिया जायेगा।" किन्तु आज तक उक्त संशोधन नहीं हुआ।

Scanned by CamScanner

		गत वर्ष मा0 मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद दिनांक 16 जुलाई 2018 को गृह मण्डल में स्थानान्तरण की सुविधा समस्त लेखपालों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया किन्तु वर्ष 2018 में कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया तथा वर्ष 2019 में 2700 आवेदनों के सापेक्ष दो बार में मात्र 643 लेखपालों का ही स्थानान्तरण किया गया है।
9	वर्ष 2019 में लगभग 11000 सीधी भर्ती के चयन प्रशिक्षु लेखपालों के अर्हकारी परीक्षा का परीक्षा परिणाम निर्गत किया गया है।	लेखपाल भर्ती 2015 में चयनित लेखपालों का प्रशिक्षण/ अर्हकारी परीक्षा परिणाम 4 वर्ष बाद 2019 में किये जाने को उपलब्धि बताया जा रहा है जबकि प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। एक वर्ष के स्थान पर 4–4 वर्ष प्रशिक्षण /परीक्षाफल में लगने के कारण ही लेखपाल सेवा विसंगति/ वेतन विसंगति/ पेंशन विसंगति का शिकार हैं। वर्ष 2001 में चयनित लेखपालों के प्रशिक्षण /परीक्षाफल में इतना ही विलम्ब होने के कारण पुरानी पेंशन के अधिकार से लगभग 700–800 लेखपाल वंचित हो गये है।
10	वर्ष 2019 में ही लगभग 700 मृतक आश्रित के रूप में चयनित नियुक्त प्रशिक्षित लेखपालों की अर्हकारी परीक्षा का परिणाम निर्गत किया गया है।	वर्ष 2019 में 700 मृतक आश्रित लेखपालों का प्रशिक्षण इंगित करता है कि लेखपाल सेवा कितनी तनावपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में लेखपाल सेवा पर रहते हुये अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं और विभाग इस पर चिन्तन नहीं कर रहा है। मा0 राजस्व परिषद प्रशिक्षण दिलाने एवं परीक्षाफल घोषित करने को उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहा है यदि नियमित कार्य किया जाना किसी पटल की उपलब्धि मानी जाती है तब लेखपाल द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ अन्य 50 विभागों के कार्यों का संपादन

Scanned by CamScanner

		किया जाना उसकी उपलब्धि में क्यों नहीं जोड़ा जाता है व लेखपाल के प्रति नकारात्मक प्रचार क्यों किया जाता है?
11	वर्ष 2019 में राजस्व निरीक्षक/ लेखपालों द्वारा विभिन्न फसलों का क्राप कटिंग प्रयोग के सम्पादन हेतु शासन द्वारा अनुमन्य दरों में वृद्धि की गयी है अर्थात रूपये 100 के स्थान पर 260 रूपये दिये गये हैं।	क्राप कटिंग प्रयोग हेतु प्रतिपूर्ति बढ़ाने के बाद मजदूरी 80 रूपये तथा लेखपाल को व्यय पूर्ति 80 रूपये के साथ किसान क्षतिपूर्ति 100 रूपये किया गया है। 80 रूपये में कौन सा मजदूर मिलता है तथा एक बार चयन एवं एक बार कटाई में यात्रा व्यय की पूर्ति 80 रूपये में कैसे सम्भव है। इस पर विचार करने के स्थान पर आन्दोलन के बाद 16 जुलाई 2018 को मा0 मुख्य सचिव महोदय के निर्णय के क्रम में उक्त प्रतिपूर्ति में वृद्धि को इतनी बड़ी उपलब्धि उपलब्धि बतायी जाती है।
12	दिनांक 01.01.86 से 31.12. 2005 के मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों के प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।	प्रदेश में किस वर्ष कितने लेखपाल नियुक्त किये गये है इसका विवरण सम्बन्धित पटल द्वारा तैयार करना भी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जाता है जिसके लिये लेखपालों को आन्दोलन करना पड़ता है तब लेखपालों की वेतन, विसंगति, प्रमोशन आदि जरूरतों को पूरा करने के लिये कितने आन्दोलन करने पड़ेगे, कल्पना करने की आवश्यकता है।
13	चयन वर्ष 2018–19 के रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों उ0प्र0 से दिनांक 31.12.1985 तक के मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों की दस वर्ष की वार्षिक प्रविष्टियां/ चरित्र पंजिका प्राप्त कर ली गयी है। प्राप्त वार्षिक प्रविष्टियों के	चयन वर्ष 2018–19 की डी0पी0सी0 जुलाई 2019 में हो जानी चाहिये थी किन्तु आज तक नहीं हुई। दिव्यांग लेखपालों की डी0पी0सी0 वर्ष 2016–17, 2017–18 व 2018–19 लम्बित है।

Scanned by CamScanner

	आधार पर पात्रता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।	
14	कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रति खाता इन्सेन्टिव देने हेतु शासन स्तर पर भरसक प्रयास किया जा रहा है।	कृषि विभाग की योजना के लिये कृषि विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं। केवल राजस्व विभाग को जिम्मेदार बनाया गया। उसमें भी लेखपालों द्वारा ही रात–दिन परिश्रम कर रिकार्ड संख्या में किसानों का पंजीकरण कराया जिससे मा0 प्रधानमंत्री जी के कर–कमलों द्वारा 24 फरवरी 2019 को उ0प्र0 के किसानों के खातों में 2000 का भुगतान रिकार्ड संख्या में किया जाना संभव हुआ किन्तु इसका केडिट कृषि विभाग को दिया गया और कृषि विभाग की तकनीकी त्रुटियों के कारण वंचित किसानों की बुराई लेखपालों को मिल रही है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु 10 रूपये प्रति खाता इंसेन्टिव के रूप में प्रदेश सरकार को दिया है किन्तु लेखपालों को उक्त इंसेन्टिव का भी भुगतान नहीं किया गया जबकि मध्य प्रदेश में लेखपालों को 18 रूपये प्रति खाता भुगतान किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह अवगत कराना है कि भूमि एवं भूमि अभिलेख की व्यवस्था राज्य का विषय है इसीलिये केन्द्र सरकार में लेखपाल अथवा समतुल्य कर्मचारी की न तो आवश्यकता है और न ही कोई व्यवस्था है। भारत के समस्त राज्यों में भूमि एवं भूमि अभिलेख, भू–कर/ राजस्व की व्यवस्था हेतु लेखपाल/पटवारी/राजस्व उपनिरीक्षक आदि विविध नामों से कर्मचारी का पद सृजित है। उत्तर प्रदेश के समतुल्य एवं पड़ोसी राज्यों यथा उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में लेखपाल की अर्हकारी योग्यता स्नातक एवं प्रारम्भिक वेतनमान ग्रेड पे 2400/2800/3200 आदि किये जा चुके हैं किन्तु उ0प्र0 के लेखपाल की तुलना अण्डमान निकोबार, दमन दीव जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों से की

Scanned by CamScanner

जा रही है जो कि भौगोलिक, राजनैतिक, जनसंख्या आदि परिस्थितियां उ0प्र0 राज्य से पूर्णतः भिन्न हैं।

उ0प्र0 लेखपाल संघ लम्बे समय वेतन, प्रमोशन के साथ–साथ शासन द्वारा उत्पन्न विसंगतियों एवं आधारभूत संसाधनों/ आवश्यकताओं के लिये नियमित रूप से पत्राचार एवं वार्ता के माध्यम से शासन एवं सरकार के विभिन्न स्तरों पर अपनी मांग उठाता रहा है किन्तु मा0 राजस्व परिषद जिसके नियंत्रण में लेखपाल सहित समस्त भूलेख काडर कार्य करता है तथा शासन के राजस्व विभाग द्वारा उ0प्र0 लेखपाल संघ की मांगों को जायज माना जाता है। मा0 राजस्व परिषद एवं प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा उक्त मांगों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां दी गयी किन्तु लेखपालों से काम लेने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है और उसकी मजदूरी निर्धारित करने व संसाधन /सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाता है जिसके कारण लेखपालों को बार–बार आन्दोलन करना पड़ता है। कई बार तो शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुपालन के लिये, मा0 राजस्व परिषद एवं जिला व तहसील स्तर पर भूलेख अधिष्ठान के नियमित कार्यों को कराने के लिये आन्दोलन करना पड़ता हैं जिसके लिये लेखपाल को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

लेखपालों को भी 10–15 वर्ष की सेवा पर एक प्रमोशन मिल जाये, लेखपाल हल्के के 4 से लेकर 10 गॉवों एवं तहसील, थाना, जनपद मुख्यालयों पर आवागमन हेतु एक लीटर पेट्रोल मिल जाये, लेखपाल संवर्ग में ही उत्पन्न वेतन विसंगति दूर हो जाये, 2001 में चयनित पुरानी पेंशन के हकदार मात्र 700–800 लेखपालों को उनका हक मिल जाये, महिला लेखपालों अपने ससुराल अथवा मायके के जनपद में तैनाती पा जाये और तहसीलों में बैठने के कमरे, फर्नीचर, शौचालय व रहने के लिये आवास की व्यवस्था हो जाये, जिला प्रशासन, मा0 परिषद एवं शासन द्वारा इस बात पर विचार करने एवं वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के स्थान पर मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष लेखपालों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा रही है। अपने स्तर पर वार्ता के माध्यम से समाधान करने के स्थान पर बर्खास्तगी/सर्विस ब्रेकिंग/एफ0आई0आर0/बल प्रयोग की कार्यवाही द्वारा लेखपालों को आन्दोलन के लिये उकसाया जा रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी, जो कि विभागीय मंत्री भी हैं, को न तो अधिकारियों द्वारा न तो स्वयं सही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है और न ही लेखपालों की मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता ही करायी जा रही है। इस गतिरोध के कारण जहॉ जनता के नियमित

Scanned by CamScanner

कार्य बाधित हो रहे हैं, गरीब मजदूर/असहाय को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है वहीं लेखपालों का नियमित कार्य रूकने के कारण भविष्य में एक साथ अधिक कार्य दबाव की स्थिति उत्पन्न होगी। उ0प्र0 लेखपाल संघ एक अनुशासित कर्मचारी संगठन है जो सदैव पत्राचार एवं वार्ता के माध्यम से समस्याओं के समाधान का पक्षधर रहा है। मीडिया के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी से अपील है कि अपने राजस्व परिवार के सबसे छोटे कर्मचारी की बातों को सुनकर उक्त गतिरोध को समाप्त करने की कृपा करें।

Scanned by CamScanner

लेखपाल आन्दोलित क्यों

1. 27 अक्टूबर 2014 को मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राजस्व, कार्मिक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के लिये 3 बार आन्दोलन करने के बाद पांच वर्ष में लैपटाप दिया जाता है और भत्ते बढ़ाने के निर्णय का आज तक अनुपालन नहीं हो पाया है।
2. मा0 परिषद की बैठक दिनांक 3 मई 2016, 31 अक्टूबर 2017, 05 दिसम्बर 2018 में लिये गये निर्णयों का अनुपालन 3–3 बार आन्दोलन के बाद भी नहीं हो पाया है।
3. मा0 मुख्य सचिव महोदय की बैठक 16 जुलाई 2018 व मा0 अपर मुख्य सचिव महोदया की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2019 में लिये गये निर्णयों का कोई लाभ लेखपालों को नहीं मिला।
4. अगस्त 2019, सितम्बर 2019 व 15 अक्टूबर 2019 के द्वारा शासन को संज्ञानित कराने के बाद भी शासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया जिसके बाद 05 नवम्बर 2019 से कमिक आन्दोलन के माध्यम से ध्यानाकर्षण का प्रयास किया गया किन्तु शासन द्वारा न तो समस्याओं का समाधान किया गया और न ही सार्थक वार्ता के माध्यम से आन्दोलन की स्थिति टालने का प्रयास किया गया।
5. 01 दिसम्बर 2019 को पुनः शासन से आन्दोलन की स्थिति टालने का अनुरोध किया गया किन्तु शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। मा0 परिषद द्वारा 05 दिसम्बर 2019 को विधान सभा घेराव टालने का आग्रह किया गया था जिसका सम्मान करते हुये उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा उक्त घेराव के कार्यक्रम को टाल दिया था। शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण 10 दिसम्बर 2019 से लेखपाल आन्दोलन हैं। शासन के अधिकारियों द्वारा अब भी वार्ता के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करने के स्थान पर बर्खास्तगी/सर्विस ब्रेकिंग/एफ0आई0आर0/बल प्रयोग की कार्यवाही द्वारा लेखपालों को आन्दोलन के लिये उकसाया जा रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी, जो कि विभागीय मंत्री भी हैं, को न तो अधिकारियों द्वारा न तो स्वयं सही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है और न ही लेखपालों की मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता ही करायी जा रही है।

Scanned by CamScanner

संघे शक्ति सर्वदा सत्यमेव जयते लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359,14-11-1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ - 226005

email : lekhpal.up@gmail.com website : lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
मो0 9456225600
पत्राचार : मो शिवदयाल कम्पाउन्ड, निकट आई. टी. सी., सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
मो0 : 9415281875
पत्राचार : कृष्णा नगर देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मन्दिर, देवरिया (उ0प्र0)

उपाध्यक्षगण
दीपक त्यागी (पश्चिमी जोन) मो0 9536500281
भूपेन्द्र सिंह (मध्य जोन) मो0 : 9198895639
रामपूजन राम (पूर्वी जोन) मो0 : 9451510484

कोषाध्यक्ष
विनोद कुमार कश्यप मो0 : 9760398504

संगठन मंत्रीगण
सुदेश कुमार (पश्चिमी जोन) मो0 : 9758547258
मनोज त्रिपाठी (मध्य जोन) मो0 : 9415431880
बिनोद यादव (पूर्वी जोन) मो0 : 9415678593

प्रदेश ऑडिटर
मूलचन्द पटेल मो0 : 9695863623

पत्रांक...सै0मो0.........

दिनांक..25/12/19...

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर दिनांक 10.12.19 से अपनी मांगों/विसंगतियों को दूर किये जाने हेतु आन्दोलन किया जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेश के समस्त लेखपालों द्वारा जनपद स्तर पर कार्यबहिष्कार करते हुये शान्तिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। शासन स्तर से उ0प्र0 लेखपाल संघ की मांगों /विसंगतियों को जायज मानते हुये उनको दूर किये जाने हेतु मा0 मुख्य सचिव महोदय के स्तर से निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 16.07.2018 व मा0 अपर मुख्य सचिव राजस्व महोदया के स्तर से दिनांक 09.07.2019 निर्गत किया गया था। जिसमें मांगों/विसंगतियों को शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु निर्गत कार्यवृत्त पर कोई कार्यवाही न होने पर अनेक बार पत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराते हुये शीघ्र कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु शासन स्तर से कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जिसके पश्चात शासन के रवैये से क्षुब्ध होते हुये बाध्य होकर उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर आन्दोलन का प्रारम्भ कर दिया गया। शासन द्वारा निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 16.07.19 व 09.07.19 पर कार्यवाही करने के स्थान पर लेखपालों पर अभियान चलाकर उत्पीड़नात्मक व दमनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। जिसका लेखपाल संघ घोर प्रतिरोध करता है। शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में अभी तक 300 से अधिक लेखपालों को बर्खास्त, 5000 से अधिक निलम्बित किये जा चुके हैं। शेष सभी लेखपालों की नो वर्क नो पे के आधार पर सर्विस ब्रेक एवं अन्य कार्यवाहियां की जा चुकी है व कार्यवाहियां अभी भी जारी है।

उ0प्र0 लेखपाल संघ लगातार शासन से गतिरोध टालने का बार–बार प्रयास किया जा रहा है। मा0 परिषद के अधिकारियों के आग्रह का सम्मान करते हुये 05 दिसम्बर 2019 को विधान सभा घेराव का कार्यक्रम अयोध्या प्रकरण के दृष्टिगत स्थगित करते हुये दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को निर्धारित किया गया। शासन के अधिकारियों द्वारा अब भी वार्ता के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करने के स्थान पर बर्खास्तगी/सर्विस ब्रेकिंग/एफ0आई0आर0/बल प्रयोग की कार्यवाही द्वारा लेखपालों को आन्दोलन के लिये उकसाया जा रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी, जो कि विभागीय मंत्री भी हैं, को न तो अधिकारियों द्वारा न तो स्वयं सही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है और न ही लेखपालों की मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता ही करायी जा रही है।

उ0प्र0 लेखपाल संघ एक अनुशासित कर्मचारी संगठन है जो सदैव पत्राचार एवं वार्ता के माध्यम से समस्याओं के समाधान का पक्षधर रहा है। लेखपाल जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है जो शान्तिव्यवस्था में भी प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग करता है। वर्तमान में प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसे समय में उ0प्र0 लेखपाल संघ अपनी नैतिक दायित्वों को समझता है। अतः 27 दिसम्बर 2019 को विधान सभा घेराव का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है तथा समस्याओं का समाधान होने तक सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ जनपद स्तर पर किया जा रहा शान्तिपूर्ण धरना 26 दिसम्बर के बाद भी अग्रिम निर्णय तक यथावत जारी रहेगा।

धन्यवाद!

भवदीय

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
महामंत्री

Scanned by CamScanner